आचार्य
श्री नरेंद्र मोदी

ACHARYA (CHANCELLOR)
SHRI NARENDRA MODI

उपाचार्य
प्रो. विद्युत चक्रवर्ती

UPACHARYA (VICE-CHANCELLOR)
PROF. BIDYUT CHAKRABARTY

विश्वभारती
VISVA-BHARATI

(Established by the Parliament of India under
Visva-Bharati Act XXIX of 1951
Vide Notification No. : 40-5/50 G.3 Dt. 14 May, 1951)

संस्थापक
रवीन्द्रनाथ ठाकुर

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

शांतिनिकेतन - 731235
SANTINIKETAN - 731235
जि.बीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत
DIST. BIRBHUM, WEST BENGAL, INDIA
फोन Tel: +91-3463-262 451/261 531
फैक्स Fax: +91-3463-262 672
ई-मेल E-mail: vice-chancellor@visva-bharati.ac.in
Website: www.visva-bharati.ac.in

सं./No._____

दिनांक/Date._____

मेरा तीसरा संदेश
4 जुलाई, 2020

विश्वभारती से पल्लवित-पुष्पित होने वाले मेरे सहयोगी, छात्र और अन्य हितधारकगण !

अपने पूर्व संदेशों के क्रम में, मैं पुन: आत्मनिरीक्षण के लिए कहता हूँ कि हम विश्वभारती से भावनात्मक रूप से क्यों जुड़े हैं? इसलिए कि यह हमारे जीविकोपार्जन का स्रोत है या हम सचमुच गुरूदेव रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा भावी पीढ़ी के लिए छोड़ी गई विरासत से प्रेरित हैं। मैं दोहराता हूं कि मेरा उद्देश्य दूसरों पर दोषारोपण करके जिम्मेदारी को दूसरों के उपर टालना नहीं है बल्कि उन लोगों में अपनेपन की भावना उत्पन्न करना है जो बीरभूम के एकमात्र उद्योग यानी विश्व भारती के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी हैं। विश्वभारती को एक उद्योग के रूप में चिह्नित करने से मेरा मतलब है कि यह हममें से कई लोगों के लिए जीविकोपार्जन और यहां तक कि अनुचित आर्थिक लाभ का स्रोत है।पूर्णकालिक कर्मी नियमित रूप से अच्छा वेतन पाते हैं।मुझे नहीं लगता कि इसके एवज

में हम विश्वविद्यालय में शिक्षण,विद्यार्थियों की निगरानी, शिक्षण गुणवत्ता एवं प्रशासनिक दक्षता के मामले में पर्याप्त सेवा दे पाते हैं।हमें नैक द्वारा बी+ तथा एन आइ आर एफ द्वारा निम्न रैंकिंग दी गई है। हम प्रशासन पर दोष लगाकर जनता की नजर में अपना बचाव कर सकते हैं लेकिन इससे हमें उन मुद्दों की तह तक जाने में मदद नहीं मिलेगी जिससे भारत के एक महान सपूत से जुड़े इस भव्य शिक्षण संस्थान को नुकसान पहुंचा है। विश्व भारती का महिमा मंडन करने का दिवा स्वप्न देखना हवाई किले बनाने जैसा है: यह बाहर से बहुत सुंदर लग सकता है किंतु सच में ऐसा नहीं है। इस प्रकार जो सबसे अधिक आवश्यक है,वह है वैचारिक परिवर्तन जो विश्वभारती में जीविकोपार्जन हेतु स्वस्थ परंपरा का निर्माण कर सके। यह बहुत ही आसान है क्योंकि विश्वभारती में प्रतिभाशाली, प्रतिबद्ध व्यक्तियों की कमी नहीं है जो मानव इतिहास में शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में विश्वभारती को उत्तुंग शिखर पर ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं।

विश्वभारती में दो ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं (क) पौष मेला और पौष उत्सव तथा (ख) बसंत उत्सव, जो दोल पूर्णिमा के दिन होता है। ये दो उत्सव दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं और जब ये आयोजित होती हैं, तो विश्वभारती परिसर में सालों भर काम करने वाले विश्वविद्यालय कर्मी नहीं जा पाते हैं। जो लोग पौष मेला और बसंत उत्सव आयोजन स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए ये भयंकर हैं। इसका कारण जल्दी ही बताउँगा।

इस संदेश में, मैं पूरी तरह से पौष मेला और पौष उत्सव पर चर्चा करूंगा। गुरुदेव के पिता ने बसंत उत्सव की शुरूआत की थी जो निरंतर रूप से आयोजित नहीं हो सका। सन् 1901 में

7वें पौष के दिन गुरुदेव द्वारा ब्रह्मविद्यालय की स्थापना के बाद,हर साल इस दिन मेला आयोजित किया जाता है। पौष उत्सव और पौष मेला दो अलग-अलग आयोजन हैं, हालांकि वे एक साथ आयोजित किए जाते हैं: पौष उत्सव में छतिमताला, क्रिस्टो उत्सव, पाठ भवन और शिक्षा सत्र का दीक्षांत समारोह और आश्रम की परंपरा से संबंधित कई अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। दूसरी ओर, पौष मेला, गुरुदेव द्वारा गाँव की हस्तकला को पुनर्जीवित करने और ग्रामीणों की भयावह गरीबी को दूर करने के विचार से विकसित हुआ प्रतीत होता है। सन् 1904 में अपने लेख, *स्वदेशी समाज* में, उन्होंने इस विषय पर अपने विचारों को बहुत विस्तार से बताया। मेला की परिकल्पना का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को सामने लाना और शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेचकर धन अर्जित करना था। यह विचार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के एक वैकल्पिक तरीके विकसित के लिए था। पुराने रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह सिर्फ एक ग्रामीण मेला था।

शांतिनिकेतन ट्रस्ट डीड के अनुसार जिसे गुरुदेव के पिता, महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था, शांतिनिकेतन ट्रस्ट मेले का असली संरक्षक है;लेकिन धीरे-धीरे मेला विश्वभारती की जिम्मेदारी बन गया जो विश्वविद्यालय के लिए बिल्कुल अनुचित था। नतीजतन, विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट समूह को मेला के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई।सन् 2019 के आरंभ में, विश्वविद्यालय प्राधिकरण मूकदर्शक बना रहा जबकि मेला की असली जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की थी।

विशिष्ट समूहों की दिलचस्पी क्यों थी इसका एक प्रमुख कारण आर्थिक लाभ है जो वे मेला के दुकानों और अपने उत्पादों को बेचने के लिए आए छोटे व्यापारियों से लेते थे। पुराने

अभिलेख से न तो विश्वविद्यालय और न ही ट्रस्ट को पूरी तरह से शामिल किया गया प्रतीत होता है। यहां तक कि 2018 में, विश्व भारती के कुलपति के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, मुझे मेला के लिए एक दर्शक मात्र बनाया गया था। मैंने उस सप्ताह अधिकांश समय बिनोदन मंच में बैठे लोक संगीत की प्रस्तुतियों को देखने में बिताया क्योंकि मुझे यह बताया गया था कि कार्यवाही में कुलपति की काफी हद तक अनुष्ठानिक भूमिका थी। एक बार मुझे खर्च और आमदनी का तुलनपत्र दिखाया गया। मुझे दोनों में काफी अंतर देखकर हैरानी हुई। घाटा चौंकाने वाला था। विश्वविद्यालय को कई सेवा प्रदाताओं, जैसे कि बिजली, सीसीटीवी कैमरे और ठेकेदारों सहित अन्य के लिए घाटे का भुगतान करना पड़ा। मुझे कड़वा सच समझ में आया कि पूर्व कुलपति का क्या मतलब था जब उन्होंने व्यंग्य से मेला को 'मधु' के रूप में वर्णित किया था।उन्होंने यह समझाने के लिए कहा था कि इसे कभी भी अलग तरीके से आयोजित नहीं किया जाए अन्यथा अभिलेख से अलग आमदनी से वंचित रह जाएंगे।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दंडित किया गया क्योंकि पौष मेला में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ट्रिब्यूनल की कई शर्तों की अवहेलना हुई थी। एक स्व-घोषित पर्यावरणविद् ने मामला दर्ज किया कि कैसे विश्वभारती ने एनजीटी द्वारा पौष मेले के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया था। विश्वविद्यालय कई कानूनी लड़ाइयों में लाखों रुपये खर्च कर रहा है, जिसके लिए न तो यूजीसी और न ही एमएचआरडी अतिरिक्त धन मुहैया कराता है।

एनजीटी विस्मित था क्योंकि मेला चार दिनों में समाप्त होना था जबकि दुकानों को हटाने के लिए अतिरिक्त दो दिन दिए गए थे,निर्धारित समय के बाद भी जारी रहा। एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, सातवें दिन, मेला मैदान मेला शुरू होने से पहले की स्थिति में लाना था। यह शर्त पूरी नहीं हुई। मेला अनुमति की अवधि के बाद भी जारी रहा और विश्वविद्यालय प्राधिकरण को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया था। सन् 2017 में, पौष मेला 14 दिनों तक चला। इस प्रकार एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन हुआ और परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और बीरभूम के जिला मजिस्ट्रेट को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए एनजीटी ने आदेश दिया। इसके अलावा, हमारे व्यवसायी मित्र जिनके पास दुकान थी, ने बड़ी आय अर्जित की, जबकि मेला के वास्तविक मेजबान विश्वभारती ने न केवल बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान उठाया, बल्कि उसे एनजीटी के साथ कानूनी लड़ाई का खर्च भी उठाना पड़ा। यह न्याय का मजाक था। 1 नवंबर, 2017 के एनजीटी के आदेश के अनुसार, स्पष्ट रूप से कहा गया कि मेला हर हाल में चौथे दिन समाप्त हो जाएगा। इसे 11 दिसंबर, 2019 के एक अन्य एनजीटी फैसले में दोहराया गया, जिसमें यह रेखांकित किया गया कि मेले की अवधि 3-4 दिन है ।

किसी भी परिस्थिति में हम दीर्घकालीन परंपरा को बंद नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने इसके आयोजन के लिए बेहतर तरीके तलाशने शुरू किए। हमने डॉ0 स्वपन दासगुप्ता,माननीय राज्यसभा सदस्य (और विश्वविद्यालय के न्यायालय सदस्य) से समाधन हेतु संपर्क किया। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि विश्वभारती के लिए इस तरह का विशाल मेला आयोजित करना संभव नहीं था, और इसके लिए एक कार्यक्रम प्रबंधक की जरूरत थी और उन्होंने राज्यसभा में यह विचार रखा। हमारे माननीय

कुलाधिपति, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुझे विस्तार से चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया कि पौष मेला की परंपरा को कैसे बनाए रखा जाए। उन्होंने तुरंत इस संबंध में विश्वभारती की मदद के लिए पीएमओ(प्रधानमंत्री कार्यालय) में एक विशिष्ट संयुक्त सचिव को निर्देश दिया। उक्त संयुक्त सचिव के साथ मेरी चर्चा में, मैंने विश्वभारती को अपने पुराने 'आकर्षण' के साथ पौष मेले के आयोजन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। नीचे कुछ मुद्दे दिए गए हैं जिन्हें मैंने हरी झंडी दिखाई थी।

हमारे लिए मेला को समाप्त करना संभव नहीं था क्योंकि (क) हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी; (ख) मेला के बाद के कई दिनों तक मेला स्थान पर कचरा बिखरा रहता है और महीनों तक इस क्षेत्र में बदबू आती रहती है, और (ग) मेला में दुकानों के वितरण में नियमों का पालन नहीं किया जाता।इन तीनों स्थितियों का पीएमओ द्वारा समाधान किया गया। हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दुकान हटाने में मदद करने के लिए जो कार्य आसान नहीं था,100 भूतपूर्व सैनिक दिए गए। पीएमओ ने हमें सत्य साईं ट्रस्ट के 180 व्यक्ति दिए जिन्होंने चार रात तक मेले में उत्पन्न कचरे को साफ किया। हमें पीएमओ की मदद से जैव शौचालय भी मिले जिसमें मेला का आनंद लेने वाले और दुकान चलाने वाले व्यवसायियों दोनों की जरूरतों का ध्यान रखा गया। दुकान वितरण के कुप्रबंधन से बचने के लिए, पीएमओ ने आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों से संपर्क किया ताकि हमें दुकानों की ऑनलाइन बुकिंग करने में मदद मिल सके।

17 दिसंबर, 2019 को हमारे पुस्तकालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक बैठक आयोजित की गई जिसमें बोलपुर व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि, श्री सुनील सिंह, श्री सुब्रत

भगत, श्री अमीनुल हुदा, श्री अंगुर खान सहित अन्य ने भाग लिया।इसमें निर्णय लिया गया कि वे सभी मेले के दौरान एनजीटी की शर्तों का पालन करेंगे। दुकान बुक करने वालों को मेला में दुकान लगाने के नियम और शर्तें भी बताई गईं। मेला की अवधि चार दिनों की थी, और चार दिनों के बाद कोई बिक्री नहीं होगी, इसके अलावा, यह भी सहमति व्यक्त की गई थी कि दुकानों को हटाने के लिए मेला अवधि के बाद अतिरिक्त 48 घंटे दिए जाएंगे। 27 दिसंबर, 2019 को, श्री सिंह, श्री भगत और श्री हुदा लगभग 12:30 बजे हमारे कैंप कार्यालय में आए और विश्वविद्यालय के संयुक्त कुलसचिव (लेखा) श्री संजय घोष को धमकी दी कि यदि मेला निर्णयानुसार चार दिनों में समाप्त हुआ तो उनकी पिटाई की जाएगी और अन्य भयंकर परिणाम होंगे। उन्होंने मेरी उपस्थिति में और महिला सहयोगियों सहित अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में उन्हें धमकी दी। हमारी महिला सहकर्मी के साथ धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौज की गई। हमने तुरंत शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन को एक एफआईआर (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट) के लिए अनुरोध पत्र भेजा।

28 और 29 दिसंबर को, हम मेला मैदान में घूमे और हमने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि सभी दुकान मालिक एनजीटी के निर्देशानुसार अपनी दुकान को हटा लें। 30 और 31 दिसंबर को, हमने पर्यावरण मामलों के लिए मेला सलाहकार बोर्ड के सदस्य,श्री जयंत मित्रा की उपस्थिति में, गंदे मेला मैदान को साफ किया। मैदान में काफी गंदगी फैली थी। हमें दुकान मालिक द्वारा बनाए गए कई अस्थायी शौचालयों से मानव-मल तक साफ करना पड़ा। **1 January** को हमारे प्रयास से मेला मैदान पहले की तरह साफ हो गया। जो लोग मेला मैदान के आसपास रहते हैं और शांतिनिकेतन पुलिस स्टेशन में हैं, वे निश्चित रूप से इस दावे की पुष्टि करेंगे।

बिक्री रोकने के लिए मजबूर करने पर बदला लेने की भावना से मेला व्यवसायियों के स्व-घोषित नेताओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारियों के एक चयनित समूह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की और दूसरे समूह के खिलाफ दुकानों से सामान लूटने की झूठी शिकायत दर्ज की (जो 29 दिसंबर, 2019 को दिन दहाड़े हुई) । उस दिन के वीडियो फुटेज और तस्वीरों के अवलोकन से पता चलता है कि उस समय मेला मैदान में सौ से अधिक कर्मचारी सदस्य (पीएमओ द्वारा भेजे गए सुरक्षाकर्मी के अलावा शिक्षक, छात्र और प्रशंसक) घूम रहे थे। ऐसी स्थिति में, यौन उत्पीड़न का आरोप पूरी तरह से तुच्छ प्रतीत होता है, यदि वह प्रेरित न हो। हालाँकि, मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इस पर जाँच चल रही है।

मैं अपने अगले संदेश में बसंत उत्सव के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालूँगा केवल यह बताने के लिए कि विश्वभारती में वर्षों से चीजें कैसे नष्ट हुई हैं, संभवत: इसलिए कि हम संस्थान के प्रति अपनेपन और / या स्वामित्व की भावना को विकसित करने में असफल रहे हैं।

इस कठिन समय में सभी सुरक्षित रहें। एक रहें।

भरोसा रखें

विद्युत चक्रवर्ती 08/09/2020

बिद्युत चक्रवर्ती

•विश्वभारती•
शान्तिनिकेतन

Vice-Chancellor
Visva-Bharati
Santiniketan
West Bengal-731235
India